

३०/२५

असज पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी ने मस वकील  
उपरोक्त दौकर निवेदन किया कि हम पत्रकारान  
के मध्य राजीनामा ही गया है सब उई की  
विवाद शेष नहीं है अतः प्रा.पत्र रसी स्वर  
पर निवेदन किया जावे।

पुनः पेश  
सतवीर  
delivered by  
me  
दिनांक

प्रार्थी व उनके वकील की सुना गया तथा  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अर्थात्  
है कि ~~अर्थात्~~ दिनांक ०५/१२/२३ को जारी  
अंतरिम आदेश निवेदनाखारिज की जाती  
है पत्रावली फर्मल सुमार दौकर कारिबल दफ्तर  
ही।

(विष्णु कौचंद)